न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 112/2021 **RCMS 2021/442**

वादीया

1. सूरज कंवर उर्फ सरोज कंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी अशोकसिंह राजपूत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. परबतसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
5. मुन्नी कंवर पुत्री स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासीगण खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान
6. जहीर अब्बास खान पुत्र साहिद खान जाति कायमखानी निवासी खान मौहल्ला, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) ।

दावा – बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रति. सं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 27.10.2021

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा 731 रकबा 2.00 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 की सह खातेदारी की भूमि आई हुई है, वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों ने त्रुटिवश सरोज कंवर दर्ज कर दिया है, स्व. किशोरसिंह के सरोज नाम की कोई पुत्री नही थी, वादीया का सही एवं वास्तविक नाम सूरज कंवर है, सभी सरकारी दस्तावेजात में वादीया का नाम सूरज ही सूरज कंवर अंकित है, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सरोज कंवर गलत अंकित कर दिया है, वादग्रस्त आराजीयात वादीया के पिता किशोरसिंह जी की खातेदारी की अवस्थित थी, किशोरसिंह जी के वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वारिसान है इनके अलावा किशोरसिंह जी के अन्य कोई वारिस न तो था एवं न ही है, वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत होने की वजह से वादिया को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, वादिया अपने हक हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की वित्तिया सहायता इत्यादि प्राप्त नही कर सकती एवं अपनी भूमि को उन्नत कृषि के लिए तैयार भी नही कर सकती तथा वित्तिय संस्थान से ऋण नही मिलने के कारण वादिया अपनी भूमि में कृषि सुधार कार्य भी नही कर सकती व नही कोई सरकारी योजना का लाभ उठा सकती है। वादिया की इस्तदुआ है कि ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 731 कुल रकबा 2.00 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादिया का नाम सरोज कंवर पुत्री किशोरसिंह के स्थान पर सूरज कंवर पुत्री किशोरसिंह अंकित किये जाने की डिक्री सादिर फरमावें।

वाद वादिया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता वादिया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा वादिया का नाम संशोंधन किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही की है, प्रतिवादी सं. 6 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि में उसकी सह खातेदारी में भूमि हिस्सा 1129/10000 अर्थात 0.2258 हैक्टर आई हुई है, जिसका मौके पर मौखिक रूप से बंटवारा हो रखा है, जिसका नजरी नक्शा साथ में प्रस्तुत किया गया है, जो परिशिष्ट "क" है जिसमें अंकित हक हिस्से पर प्रतिवादी सं. 6 काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी सं. 6 अपनी जोत अलग दर्ज कराना चाहता है जिसका बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाकर [illegible] अपना हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाकर [illegible] जावे। उक्त अनुसार प्रतिवादी एवं वादी अधिवक्ताओं द्वारा [illegible] प्रस्तुत कर प्रतिवादी जहीर अब्बास खान का नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु कथन किया है, प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सं. 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया की ओर से आधार कार्ड 229868169954, राशन कार्ड की छाया प्रति, चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 प्रस्तुत की।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 731 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से 7 की सह खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादिया का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात में सूरज कंवर अंकित है। अतः नाम सरोज कवंर के स्थान पर सूरज कंवर किया जाने की पुष्टि उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से होती है। प्रतिवादी सं. 6 जहीर अब्बास खान का हक हिस्सा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" अनुसार किये जाने हेतु वादिया एवं प्रतिवादी अधिवक्ता 1 से 5 भी सहमत है जिन्होने लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया है पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर नजरी नक्शा एवं हक हिस्सा अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज किये जाने का कथन किया है, इस प्रकार वाद वादयिा एवं प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार काबिल होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीया का नाम सूरज कंवर एवं प्रतिवादी सं. 6 का बंटवारे का अनुतोष स्वीकार काबिल है। अतः वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद मुताबिक राजीनामा/इकरारनामा अनुसार डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 731 रकबा 2.00 हैक्टर में वादिया सरोज कंवर पुत्री किशोरसिंह के स्थान पर सूरज कंवर पुत्री किशोरसिंह राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, प्रतिवादी सं. 6 जहीर अब्बास खान का काउन्टर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार 0.2258 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने एवं नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं. 6 जहीर अब्बास खान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 27.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 112/2021 **RCMS 2021/442**

वादीया

1. सूरज कंवर उर्फ सरोज कंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी अशोकसिंह राजपूत निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. परबतसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र स्व. किशोरसिंह
5. मुन्नी कंवर पुत्री स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासीगण खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान
6. जहीर अब्बास खान पुत्र साहिद खान जाति कायमखानी निवासी खान मौहल्ला, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) ।

दावा –बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री रणवीर अधिवक्ता प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **अतः वाद मुताबिक राजीनामा/इकबाली जवाब अनुसार डिक्री किया जाकर** ग्राम **खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 731 रकबा 2.00 हैक्टर में वादिया सरोज कंवर पुत्री किशोरसिंह के स्थान पर** सूरज कंवर **पुत्री किशोरसिंह राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, प्रतिवादी सं. 6 जहीर अब्बास खान का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार 0.2258 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने एवं नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं. 6 जहीर अब्बास खान को खातेदार काश्तकार** घोषित किया जाता है। **शेष खाता बदस्तूर रहेगा। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा** भरा **जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			[illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 26/10/2021 05:20:25

जिला : नागौर | तहसील : कुचामन | भू. अ. नि. क्षेत्र : कुचामनसिटी

पटवारी हल्का : खारिया | ग्राम : खारीया

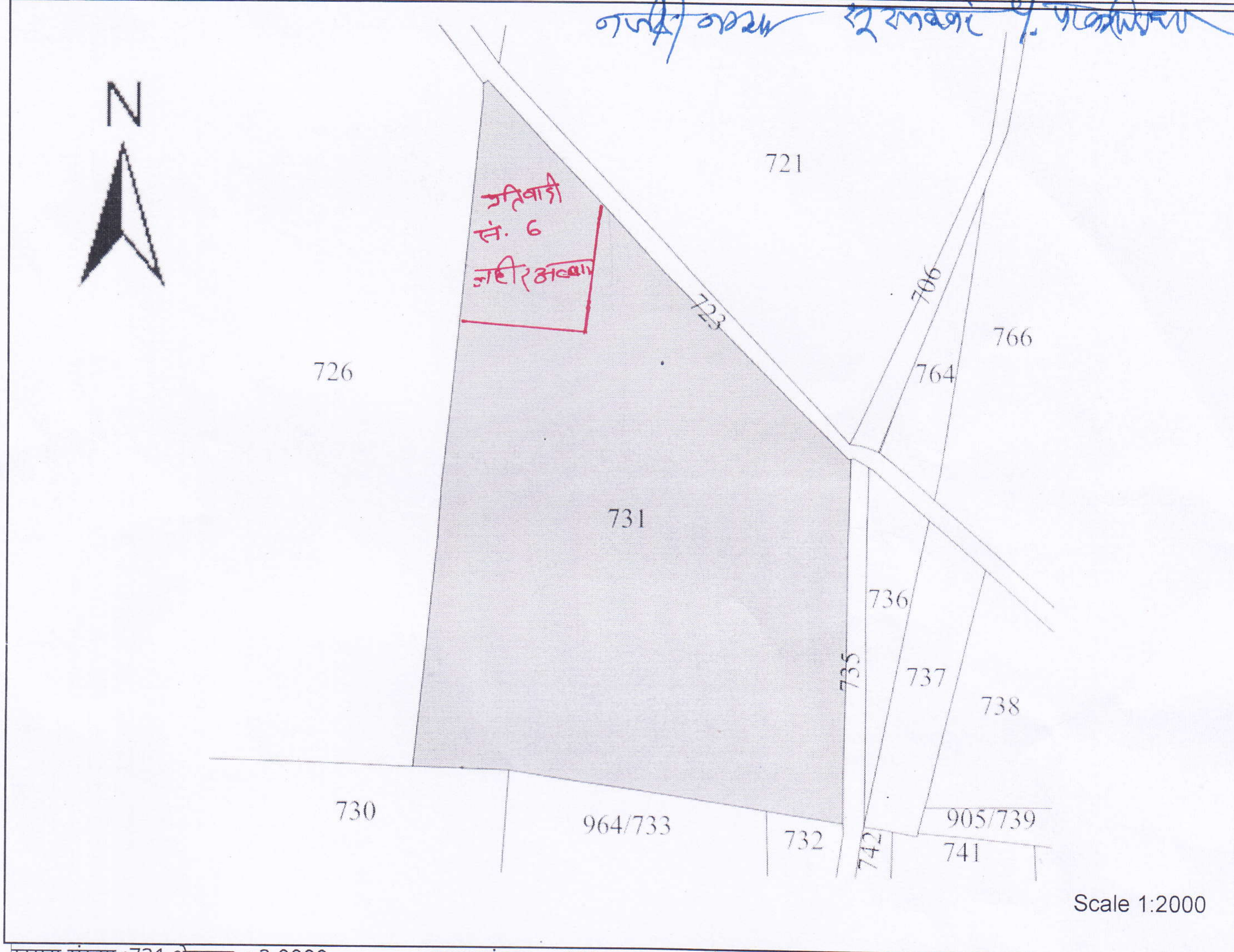

खसरा संख्या :731 क्षेत्रफल : 2.0000 खाता संख्या : 122पुराना खाता संख्या :65

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 1 [2.0000, 10.00]

2.) परबतसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा- 16613/120000 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

3.) मुनीकंवर पुत्री किशोरसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

4.) मनोहरसिह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा- 16613/120000 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

5.) मोहनासिह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा- 16613/120000 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

6.) श्रवणसिह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा- 16613/120000 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

7.) सरोजकंवर पुत्री किशोरसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

1.) जहीर अब्बास खान पुत्र साहिद खान हिस्सा- 1129/10000 जाति- कायम... सा. ... खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:48:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)